मोहनराम बनाम अणचीदेवी वगै.
मुकदमा नम्बर 0161/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

मोहनराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम इण्डाली तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. अणचीदेवी पत्नि कुंभाराम जाति जाट
2. गिरधारी पुत्र कुंभाराम जाति जाट
3. पेफाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट
4. भीवाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट
5. मोहनराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट
6. श्रवणराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट
7. डुंगाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट
   समस्त निवासीयान इण्डाली तहसील नावां।
8. मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामन सिटी।
9. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक कुकनवाली।
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– पत्थरगढ़ी कराने
अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमां नम्बर :– 0161/2022 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम लाम्बीडेरी पटवार हल्का इण्डाली तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.34 हैक्टर भूमि प्रार्थी के कब्जा अधिकार की खातेदारी दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अपने पैतृक हक अधिकारो कि भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसका तहसीलदार नांवा के द्वारा आदेश कमांक/भू.अ./75 दिनाक 06/06/2022 की पालना में सीमाज्ञान पटवारी हल्का इण्डाली द्वारा किया गया है। उपरोक्त भूमि के सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर बताये गये बिन्दू व सीमा पर पत्थर गढी कराना आवश्यक हो गया जिससे भविष्य में सीमाज्ञान को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त हक हिस्सा के भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी कराने का अधिकारी है इसलिए यह पत्थर गढी का प्रार्थना पत्र पेश किया। उपरोक्त भूमि में पडौसी खातेदार भी कब्जा काश्त खातेदार अधिकार भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नही करे सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही करे इसलिए पत्थर गढी का प्रार्थना पत्र लाना लाजमी हुआ है। राजस्व ग्राम लाम्बीडेरी पटवार हल्का इण्डाली तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.34 हैक्टर भूमि में मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार उत्तरी सीमा की पत्थर गढी कराने हेतु आदेश तहसीलदार जीवा को आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद एवं अप्रार्थी संख्या 8, 9 के जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपनी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लाम्बीडेरी पटवार हल्का इण्डाली तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.34 हैक्टर भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रार्थी की भूमि की विधिवत अलग तरमीम हो रखी है तथा अलग से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लाम्बीडेरी पटवार हल्का इण्डाली तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.34 हैक्टर भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2022 पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। इस बाबत तहसीलदार नावां को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा एवं पटवारी हल्का इण्डाली व इन्दोखा की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नावां को मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराने एवं तहसीलदार नावां व राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, तहसीलदार नावां को 1000/– व भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा को 700/– एवं पटवारी हल्का इण्डाली व इन्दोखा को 500–500/– रूपये अदा करने पर भूमि की पत्थरगढी करवायी जावे। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सरे न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं,
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)